## केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

क्रमांक 00306445 CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

अंक विवरणिका MARKS STATEMENT

DELHI

सैकण्डरी स्कूल परीक्षा,1995 SECONDARY SCHOOL EXAMINATION,1995

1995 (0487)

SHASHI BALA

अनुक्रमांक ROLL NO. 6367219

NAME

जन्म तिथि

DATE OF BIRTH 29TH JULY NINETEEN HUNDRED EIGHTY

कोड		प्राप्तांक MARKS OBTAINED				स्थितीय ग्रेड
CODE	विषय SUBJECT -	लि. TH	प्रै. PR	कुल TOTAL	शब्दों में TOTAL IN WORDS	POSITIONA GRADE
084 002 041 086 087 500 502	ENGLISH COURSE-B HINDI COURSE-A MATHEMATICS. SCIENCE WITH PRAC. SOCIAL SCIENCE WORK EXPERIENCE PHY & HEALTH EDUCA ART EDUCATION	060 072 088 043 077	XXX XXX XXX 025 XXX	060 072 088 068 077	SIXTY SEVENTY TWO EIGHTY EIGHT SIXTY EIGHT SEVENTY SEVEN	B A A B A A B

परिणाम Result

PASS

Abbreviations: आद्यक्षरों का अर्थ

AB: Absent in the Subject विषय में अनुपस्थित

Ex: Exempted छूट-प्राप्त

🛪 : Appeared in Compartmental Examination पूरक परीक्षा में बैठे

दिल्ली Delhi 03-06-95

दिनांक Dated

परीक्षा नियंत्रक

Controller of Examinations

## टिप्पणी:

- 1. निम्नलिखित नौ बिन्दु पैमाने पर श्रेणीकरण का निर्णय किया गया है:--
  - ए-1: सर्वोत्कृष्ट 1/8 इत्तीर्ण परीक्षार्थियों के लिए
  - ए-2: तत्पश्चात् 1/8 उत्तीर्ण परीक्षावियों के लिए
  - बी-1: तत्पश्चात् 1/8 उत्तीर्ण परीक्षार्थियों के लिए
  - बी-2: तत्पश्चात् 1/8 इतीर्ण परीक्षार्थियों के लिए
  - सी-1: ततपश्चात् 1/8 उतीर्ण परीक्षार्थियों के लिए
  - सी-2: तत्पश्चात् 1/8 उतीर्ण परीक्षार्थियों के लिए
  - ही-1: तत्पश्चात् 1/8 उत्तीर्ण परीक्षार्थियों के लिए
  - ही-2: तस्पश्चात् 1/8 उत्तीर्ण परीक्षार्थियों के लिए
  - 🛊 : अनुतीर्ण परीक्षार्थियों के लिए
- 2. (क) बाह्य परीक्षा के प्रत्येक निषय में अधिकतम अंक 100 हैं लेकिन प्रयोगात्मक के बिना विद्यान विषय में अधिकतम अंक 75 हैं। प्रत्येक विषय में उत्तीर्ण होने के लिए कम से कम 33% अंक या प्रेड ही-2 लाना आवश्यक है।
  - (ख) कार्य अनुभव कला-शिक्षा और शारीरिक व स्वास्थ्य शिक्षा आदि आंतरिक परीक्षा के विषय हैं और इनके ग्रेड विधालय में ली गई परीक्षा पर आधारित हैं। आईदेट/पत्राचार/प्रीद स्कृलों के छात्रों को आंतिरिक परीक्षा के विषयों में क्रूट प्राप्त है।
- 3. (क) यदि परीक्षार्थी को छूट प्राप्त नहीं है तो परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए परीक्षार्थी के लिए आवश्यक है कि वह आंतरिक मूल्यांकन के सफी विषयों में कम से कम ही-2 ग्रेड खवश्य प्राप्त करें और पाँच बाह्य विषयों में अध्ययन योजना के अनुसार 33% अंक या ग्रेड डी-2 अवश्य प्राप्त करें।
  - परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए छात्र द्वारा लिए गए अतिरिक्त विषय को ध्यान में नहीं रखा जाएगा।
  - (ग) समग्र रूप से कोई श्रेणीकरण/उत्कृष्टता/महायोग नहीं दिया जाएगा।
- 4. जिन परीक्षाधियों ने पजीकरण प्रक विषय में नहीं कराया है, उन्हें परीक्षा में बैठने की अनुमित नहीं दी जा सकती। विद्यालय के परीक्षाधीं अपना आवेदन पत्र विद्यालय के माध्यम से भेजें तथा निजी परीक्षाधीं निधारित फार्म में अपना आवेदन प्रपत्र भरकर फीस के साथ परीक्षा परिणाम की घोषणा की तिथि से 15 दिन के भीतर सीधे ही बोई को भेजें। यदि परीक्षाधीं ने अपने आवेदन का पजीकरण प्रक परीक्षा में नहीं के स्थार है और वह उस परीक्षा में बैठा है तो उसकी परीक्षा रव्द कर दी जाएगी।
- 5. बोर्ड हारा सी गई परीक्षा में बैठे परीक्षार्थी अपने अर्कों की सत्यापन के लिए सीधे संबोधत क्षेत्रीय अधिकारी को आपेदन बेजें। ऐसे आवेदन-पत्र परीक्षार्थी परीक्षा परिणाम चौषित होने की तिथि से 30 दिन के बीतर प्रति विषय 60/- स. शुरूक के साथ शेजें।

## NOTE:

The Grades have been awarded on a Nine-Point scale as fc	llows:
A-1: Top 1/8th of the passed candidates	•
A-2: Next 1/8th of the passed candidates	
B-1: Next 1/8th of the passed candidates	
B-2 : Next 1/8th of the passed candidates	
C-1: Next 1/8th of the passed candidates	
C-2: Next 1/8th of the passed candidates	
D-1: Next 1/8th of the passed candidates	
D-2: Next 1/8th of the passed candidates	

- E : Failed candidates
- - (b) Work Experience, Art Education and Physical Education are subjects of internal examination and the Grades are based on internal assessment by the schools.

    Patrachar/Adult School candidates are exampted from ubject(s) of internal examination.
- 3. (a) To pass the examination, a candidate must obtain at lea st Grade
  D-2 in all subjects of internal assessment unless the candidate
  is exempted and 33% marks or Grade D-2 in each of the five
  subjects of external examination as per scheme of standard.
  - (b) The additional subject offered by the candidate is not ta ken into account for passing the examination.
  - (c) No overall division/distinction/aggregate is awarded.
- 4. Candidates without being registered for compartment sult ject will not be allowed to appear at the examination. School ca ndidates should send their application through school and private ca ndidates direct within a fortnight of the date of declaration of result so on the prescribed form alongwith the fee. In case a candidate not result since the compartment examination appears, his examination and result is not will be cancelled.
- 5. A candidate who has appeared at an examination conduct dependent of the Board, may apply to the Regional Officer concerned for verification of his/her marks. Such an application must be made by the conduct determined in the such declaration of results.